राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1313/2024

रमेश चन्द मीणा (कर्मचारी आई.डी.:–आरजेएजे201901035876)

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. कार्तिकेय लाटा, तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल एवं श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) की पालना में तहसीलदार, आंधी जयपुर ग्रामीण से वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि कार्य ग्रहण के मात्र 16 दिवस की अल्पावधि में ही आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर में पद विरूद्ध किया गया है, जो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आदेश पारित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण राजस्व मण्डल अजमेर से तहसीलदार रामपुरा डाबड, जिला जयपुर ग्रामीण में चोखाराम के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था। जिसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी ने फरवरी 2024 में ही कार्यग्रहण किया है तथा अपीलार्थी का चुनाव विभाग के निर्देशों की पालना में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण तहसीलदार, आंधी जिला

जयपुर ग्रामीण से तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण में स्थानान्तरण किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 को कार्यग्रहण किया।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वर्तमान में तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर जहां पर दो व्यक्ति पहले से ही कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर में किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नॉन टीएसपी से टीएसपी ऐरिया में किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 650 किमी. दूर किया गया है, जिसमें कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है। उक्त स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने की गरज से किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर जयपुर में पदस्थापित है। राज्य सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है कि राजकीय कर्मचारियों में पति–पत्नी को यथा संभव एक स्थान पर पदस्थापित रखा जाए, परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण 650 किमी. दूर किया गया है, जो गलत है।

4. निजी प्रत्यर्थी कार्तिकेय लाटा की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा तहसीलदार, बस्सी, जिला जयपुर के पद पर किया गया था, जहां पर निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक 13.03.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव घोषित किये जा चुके है और निजी प्रत्यर्थी को पर्यवेक्षक का कार्य दिया गया है। निजी प्रत्यर्थी की ड्यूटी चुनाव कार्यक्रम में है। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी को वर्तमान पद से हटाये जाने से चुनाव कार्य प्रभावित होंगे।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण के पद पर किया गया है, जहां निजी प्रत्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। यह भी प्रकट हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जा चुका है और निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत आरम्भ हो चुकी है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे मत में निजी प्रत्यर्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान में तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर में पद विरूद्ध किया गया है, जबकि तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर में पूर्व में अन्य तहसीलदार कार्यरत है। यह प्रकट हुआ है कि श्री नारायण डामोर जो कि

तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर में कार्यरत थे, जिनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा तहसील, साबला, जिला डूंगरपुर से नायब तहसीलदार, नोखडा, बाडमेर किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में नारायण डामोर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या 2874/2024 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.03.2024 पारित किया, जिसके आधार पर नारायण डामोर को तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर के पद पर ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश दिये। ऐसे में प्रकट होता है कि साबला, जिला डूंगरपुर में पहले से ही अन्य तहसीलदार कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर में किया जाना गलत है, क्योंकि अपीलार्थी का तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर के पद पर कार्य ग्रहण करना वर्तमान में संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग पुनः विचार कर नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)